न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी अवर न्यायाधीश,(प्रथम) नरकटियागंज
विभाजन वाद संख्या–60/2018

टुन्नू गिरी.....वादी

बनाम

मुकेश गिरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

08.06.2022 उभय पक्ष की पैरवी है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या–1 से 3 एवं 8, 9 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 24.11.2021 पर सुना।

प्रतिवादी संख्या–1 से 3 एवं 8, 9 का अपने आवेदन में कहना है कि प्रतिवादी संख्या–2 ता 8 दिनांक 01.07.2019 को तथा प्रतिवादी संख्या–1, 3 व 9 दिनांक 15.12.2020 को उपस्थित हुए। यह कि कोविड–19 संक्रमण के कारण प्रतिवादीगण को कागजात का नकल प्राप्त नहीं होने के कारण समय से जवाब नहीं दे पाये, जिस कारण प्रतिवादी संख्या–2 व 8 को जवाब देने से वंचित करने का आदेश पारित हुआ। साथ ही प्रतिवादी संख्या–1, 3 व 9 को भी समय से जवाब दाखिल नहीं करने के कारण जवाब देने से वंचित किया गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण को जवाब देने से वंचित करने का आदेश वापस लेते हुए प्रतिवादीगण का जवाब स्वीकार करने की कृपा की जाय।

इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 से 3 एवं 8, 9 की ओर से दाखिल आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि उपरोक्त प्रतिवादीगण द्वारा जान बूझकर विधिक समय सीमा के तहत उत्तर पत्र दाखिल नहीं किया गया, जिस कारण इनका आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में उपरोक्त प्रतिवादीगण उपस्थित हुए हैं, किन्तु इनकी ओर से विधिक समय सीमा के तहत बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया गया। अतः न्यायालय के आदेश दिनांक 26.11.2019 द्वारा इन्हें प्रतिवादी संख्या–2 और 8 को बयान तहरीरी दाखिल करने से बंचित कर दिया गया। इनलोगों द्वारा निवेदन किया गया है कि बयान तहरीरी दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हुए बयान तहरीरी ग्रहण करने की कृपा की जाय। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी मामले का निस्तारण उसके गुण–दोष व सभी पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। ऐसी दशा में न्याय हित में आदेश दिनांक 26.11.2019 को वापस लेते हुए प्रतिवादी संख्या–1 से 3 एवं 8, 9 का आवेदन 400 रू. हर्जे के साथ स्वीकृत किया जाता है तथा इनलोगों की ओर से दाखिल बयान तहरीरी ग्रहण किया जाता है। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 02.07.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)